

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 मई 2001

क.एफ. 21-13-87-दस-1. - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश, तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा में भरती संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश, तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भरती नियम, 2000 हैं.
- (2) ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.
2. परिभाषायें - इन नियमों, में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
 - (क) सेवा या पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसा प्राधिकारी, जिसे सरकार द्वारा उस सेवा या पद पर नियुक्ति करने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो या इसके पश्चात् प्रत्यायोचित की जाए.
 - (ख) "समिति" से अभिप्रेत है अनुसूची -चार के कालम (6) में विनिर्दिष्ट किए गये अनुसार गठित चयन समिति.
 - (ग) "उप वन क्षेत्रपाल" से अभिप्रेत है उप वन क्षेत्रपाल पार्क गेम निरीक्षक.
 - (घ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है नियम-11 के अधीन सेवा में भरती के लिए प्रतियोगी परीक्षा
 - (ङ) "वनरक्षक" से अभिप्रेत वन रक्षक वन सेवक, गेमगार्ड
 - (च) "वनपाल" से अभिप्रेत, वनपाल, वन विस्तार सहायक गेम उप निरीक्षक.
 - (छ) "सरकार" से अभिप्रेत मध्यप्रदेश के सरकार.
 - (ज) "राज्यपाल" से अभिप्रेत मध्यप्रदेश के राज्यपाल
 - (झ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, तारीख 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग.
 - (ञ) "अनुसूची" से अभिप्रेत इन नियमों के संलग्न सूची.
 - (ट) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति, का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है.

(ठ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ड़) "सेवा" से अभिप्रेत मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा,

(ढ) "राज्य" से अभिप्रेत मध्यप्रदेश राज्य।

3. विस्तार तथा लागू होना – मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 में अंतर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे।

4. सेवा का गठन – सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् –

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची एक में यथाविनिर्दिष्ट पद मूलतः धारण कर रहे हैं।

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भरती किए गये हो, तथा

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भरती किये गये हों।

5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि – सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची – एक में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होगी।

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर समय समय पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. भरती का तरीका – (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् –

(क) सीधी भर्ती, प्रतियोगी परीक्षा या साक्षात्कार के माध्यम से या दोनों तरीकों द्वारा।

(ख) अनुसूची –चार के कॉलम (2) में दर्शाए गए अनुसार पदोन्नति द्वारा।

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवा में ऐसे पद, जैसे कि इस निर्मित विनिर्दिष्ट किया जाए, मूल हैसियत में धारण करते हों।

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) तथा खण्ड (ग) के अधीन भरती किए गए व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय अनुसूची – एक में उल्लिखित पदों की संख्या के साथ, अनुसूची –दो में दर्शाये गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को जिन्हें भरती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भरती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात में होते हुए भी यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की आवश्यकताओं द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, तो वह सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन के पश्चात् उक्त

उपनियम में विनिर्दिष्ट किये गये सेवा भरती के उन तरीकों से विभिन्न ऐसे तरीके अपना सकेगा जैसा वह इस निर्मित जारी आदेश द्वारा विहित करें.

7. सेवा में नियुक्ति – इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा के समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम-6 में यथाविनिर्दिष्ट भरती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन के पश्चात् ही की जायेगी अन्यथा नहीं.

8. सीधी भरती के लिए पात्रता की शर्तें – चयन/ प्रतियोगी परीक्षा, में पात्रता के लिए अभ्यार्थी को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा, अर्थात् –

(एक) आयु –

(क) उसने चयन प्रारंभ होने की तारीख की ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को, अनुसूची "तीन" के कालम (3) में यथाविहित आयु प्राप्त कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथाउल्लिखित आयु प्राप्त न की हो.

(ख) यदि अभ्यार्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी,

(ग) मध्यप्रदेश, सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबन्ध) नियम 1977 के नियम 4 के उपबन्धों के अनुसार महिला अभ्यार्थियों की उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दस वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

1. " परन्तु वन रक्षकों के पद पर भर्ती के लिए उपरोक्त उपबंध लागू नहीं होगा।"

(म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र. एफ-3-47/2008/दस-1 दि. 09.06.08 द्वारा संशोधित)

(घ) उन अभ्यार्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हो या रह चुके हों, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी –

(एक) कोई अभ्यार्थी जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए.

(दो) कोई अभ्यार्थी जो पद धारण करता है तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा है 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों और परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी.

(तीन) कोई अभ्यार्थी, जो छटनी किया गया सरकारी सेवक है, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थायी सेवाओं के अधिकतम 7 वर्ष तक, भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्तें इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा के तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण – शब्द "छटनी किये गये सरकारी सेवक" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या संघटक इकाईयों में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास की कालावधि

तक निरन्तर रहा था तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन के लिए अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया था।

(चार) कोई अभ्यार्थी, जो भूतपूर्व सैनिक है, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण – शब्द (टर्म) "भूतपूर्व सैनिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का रहा हो और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा था और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा किए गये आवेदन की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई थी या जो अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया था।

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवा निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन नियुक्त कर दिया गया हो।
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार भरती किया गया हो और जिन्हें –
 - (क) अल्पकालिक वचनवद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर
 - (ख) भरती की शर्तें पूर्ण हो जाने पर सेवान्मुक्त कर दिया गया हो।
- (3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक।
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिसमें अल्पवधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित है, जो संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये हो।
- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवान्मुक्त किया गया है।
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया है।
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने के योग्य नहीं हैं।
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लगने से घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया है।
- (९) विधवा, निराश्रित एवं तालाशुदा महिला अभ्यार्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

- (च) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (छ) आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत उच्च जाति के पति-पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ज) "विक्रम पुरस्कार" धारक अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (झ) ऐसे अभ्यर्थियों की, जो मध्यप्रदेश राज्य निगमों/बोर्डों के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेवा (होमगार्ड) के नाम कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिल की जाएगी किन्तु किसी मामले उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टिप्पणी :- (1) ऐसे अभ्यर्थी जो उपर्युक्त खण्ड (घ) के उपखण्ड (1) तथा (2) में वर्णित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन हेतु पात्र पाये गये हैं यदि वे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् चयन के पूर्व या उसके पश्चात् में सेवा से त्याग पत्र देते हैं तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तथापि यदि आवेदन पत्र करने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छटनी की जाती है तो वे पात्र बने रहेंगे।

टिप्पणी :- (2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेगी, विभागीय अभ्यर्थियों को चयन के लिए उपस्थिति होने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी।

(2) शैक्षणिक अर्हताएँ :- अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएँ होनी चाहिए जैसा कि अनुसूची तीन में दर्शाया गया है, परन्तु -

(क) अपवादिक मामलों में, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर समिति, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्हित मान सकेगी, जो यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों, जो समिति की राय में अभ्यर्थी के चयन के लिए विचारण को न्यायोचित ठहराती हो, और

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों पर भी, जो अन्यथा अर्हित हों, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से, जो सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है उपाधियों प्राप्त की हैं, समिति के विवेक अनुसार परीक्षा/चयन में उपस्थित के लिए विचार किया जा सकेगा।

(3) शारीरिक अर्हताएँ - (क) वनरक्षक के पद पर सीधी भरती के लिए अभ्यर्थी को चयन समिति द्वारा यथा विहित प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी और साथ ही पुरुषों के मामले में 4 घण्टे में 25 किलोमीटर एवं महिला के मामले में 4 घण्टे में 14 किलोमीटर की दूरी पैदल पूर्ण करनी होगी इसके साथ ही उसे विहित शारीरिक उपयुक्तता (फिटनेस) परीक्षण भी उत्तीर्ण करना होगा।

(ख) वनरक्षक पद के लिए न्यूनतम शारीरिक प्रमाण (स्टैंडर्ड) निम्नानुसार होगा :-

शारीरिक प्रमाण	पुरुष अभ्यर्थी	महिला अभ्यर्थी
ऊंचाई	163 सेंटीमीटर	150 सेंटीमीटर
सीना सामान्य	79 सेंटीमीटर न्यूनतम	74 सेंटीमीटर न्यूनतम
सीने का न्यूनतम फुलाव	05 सेंटीमीटर	05 सेंटीमीटर

टिप्पणी : अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर तथा महिला अभ्यर्थी की 145 सेंटीमीटर होना चाहिये.

मध्यप्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, सीने के फुलाव में 5 सेंटीमीटर का (बिना फुलाए 74 सेंटीमीटर/फुलाने के पश्चात् 79 सेंटीमीटर) शिथिलीकरण किया जाएगा.

(4) फीस – अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस का सन्दाय करना होगा.

9. निरर्हता : अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन के लिए निरर्हता माना जा सकेगा.

10. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा— परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है. परीक्षा साक्षात्कार में प्रवेश नहीं दिया जायेगा.

11. (1) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भरती – (एक) सेवा में भरती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अन्तरालों से ली जावेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी सरकार परामर्श से समय समय पर अवधारित करें.

(दो) परीक्षा सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ली जावेगी.

(2) साक्षात्कार द्वारा सीधी भरती – (एक) सेवा में अभ्यर्थी का चयन ऐसे अन्तरालों से किया जाएगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, समय –समय पर अवधारित करें.

(दो) सेवा में अभ्यर्थी का चयन, चयन समिति द्वारा उनका साक्षात्कार लेकर किया जाएगा और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय समय पर, चयन समिति नाम निर्दिष्ट की जाएगी.

(3) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994 में अंतर्विष्टि उपबंधों के अनुसार सीधी भरती के प्रक्रम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के व्यक्तियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे)

(4) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम 1977 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायेंगे.

(5) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थी की, जो कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम से किया जायेगा जिसमें उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो.

(6) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को जिनकी प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए चयन समिति द्वारा नियुक्ति के लिए उपयुक्त होने संबंधी सिफारिश की गई हो, यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति किया जा सकेगा.

(7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले पदों के कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया हो और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये कि यह संभावना है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, वहां नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अनुभव की शर्त शिथिल कर सकेगा.

12. चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची – (1) चयन समिति ऐसे अभ्यर्थियों की, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि समिति अवधारित करें, योग्यता के क्रम में बनाई गई सूची और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं हैं, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किये गये हैं, नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी. सूची को सभी की जानकारी के लिए भी प्रकाशित किया जाएगा.

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के उपबन्धों के अधधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिसमें कि उनके नाम योग्यता सूची में आये हैं.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी की आवश्यकता समझी जाए, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है.

(4) सूची, समिति द्वारा उसके जारी करने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य रहेगी.

13. परीक्षा – सेवा में सीधी भरती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षा पर नियुक्ति किया जायेगा.

14. समयबद्ध वेतनमान हेतु पात्रता की शर्तें – (1) सेवा के सदस्यों को अनुसूची छह के कॉलम (3) में यथादर्शित समयबद्ध वेतनमान निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिया जाएगा अर्थातः—

(एक) यदि उसने सेवा के 12 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, किन्तु 24 वर्ष पूर्ण नहीं किए हैं और उसे उसकी नियुक्ति के समय प्रारंभिक वेतनमान के अलावा पदोन्नति के कारण या अन्यथा तत्स्थानी वेतनमान के सिवाये कोई अन्य वेतनमान नहीं दिया गया था. या

(दो) यदि उसने सेवा के 24 वर्ष पूर्ण कर लिये हों और उसकी नियुक्ति के समय प्रारंभिक वेतनमान के अलावा उसे पदोन्नति के कारण या अन्यथा तत्स्थानी वेतनमान के अतिरिक्त कोई अन्य वेतनमान नहीं दिया गया था.

(2) सदस्य का वेतन समयबद्ध वेतनमान के अगले प्रक्रम (स्टेज) पर नियत किया जाएगा. परन्तु जहां सेवा का सदस्य समयबद्ध वेतनमान में अपने वेतन का आहरण कर रहा हो और उसे पदोन्नति किया जाएगा तो ऐसी पदोन्नति के पश्चात् उसका वेतन इस प्रकार नियत किया जाएगा जैसा कि वह अपने वेतन का आहरण पूर्व वेतनमान में कर रहा था और समयबद्ध वेतनमान के कारण उसको वेतन निर्धारण का लाभ नहीं दिया गया था.

(3) समयबद्ध वेतनमान का लाभ देने के लिए सदस्य की पूर्ववर्ती पांच वर्षों की गोपनीय रिपोर्ट पर विचार उसी प्रकार किया जाएगा जैसा कि पदोन्नति के मामले में किया जाता है और समयबद्ध वेतनमान का लाभ तभी दिया जाएगा जबकि सदस्य को उपयुक्त पाया जाए.

(4) समयबद्ध वेतनमान के कारण संबंधित सदस्य के पदनाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा.

15. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति – (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु चयन करने के लिए एक समिति गठित की जावेगी, जिसमें अनुसूची "चार" में यथा उल्लिखित सदस्य होंगे.

परन्तु इस उप नियम के अधीन समिति के गठन के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबन्धों का अनुसरण किया जाएगा.

(2) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक सामान्यतः एक वर्ष से अनधिक के अन्तरालों में होगी.

(3) उप वन क्षेत्रपाल से वन क्षेत्रपाल के पदों पर पदोन्नति कर्मचारियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे भारत के किसी फारेस्ट रेन्जर कॉलेज में 6 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करें, उनके लिए यह भी आवश्यक होगा कि वे पदोन्नति की तारीख से दो वर्ष के भीतर उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करें, वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत कर्मचारी को जब तक वह विहित प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर लेता, वेतनवृद्धि मन्जूर नहीं की जायेगी.

(4) बिना पारी पदोन्नति (आउट ऑफ प्रमोशन), ऐसे कर्मचारियों को, जिन्होंने अपने जीवन को खतरे में डालते हुए वृक्षों का अवैध कटाई रोकने में, वनों तथा वन भूमि और अन्य वन जीवन को संरक्षित करने में शिकार की चोरी रोकने में, वन्य पशुओं की खालों, सींगों तथा हड्डियों को अभिगृहित करने में, सम्पदा को

आग से संरक्षित करने में असाधारण साहस प्रदर्शित किया हो और वन रोपण तथा अन्य विकास कार्य आदि को उत्कृष्टता से किया हो, निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए "बिना पारी पदोन्नति" दी जाएगी :-

- (क) ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने उपरोक्त क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया हों और इस स्तर को न्यूनतम तीन वर्ष तक बनाए रखा हो.
- (ख) कर्मचारी द्वारा प्रस्तावित ऐसे मामलों में, जहां न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाये जाने के पश्चात् दण्ड के लिए आदेश पारित कर दिया हो.
- (ग) कर्मचारी से संबंधित उत्कृष्ट कार्य का मूल्यांकन ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो वन संरक्षक के पद (रैंक) से नीचे का न हो और उस कर्मचारी के कार्य को वृत्त (सर्कल) में कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों की तुलना में सर्वोत्तम श्रेणी दी गई हो.
- (घ) ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध कोई शिकायत या विभागीय जांच आदेशित या प्रस्तावित नहीं होनी चाहिए.
- (ङ) बिना पारी के पदोन्नति के लिए प्रत्येक केडर में कुल पद, केडर के पद स्थाई पद के कतिपय प्रतिशत तक सीमित होंगे.
- (च) बिना पारी के पदोन्नति का प्रस्ताव वन संरक्षक द्वारा आरंभ किया जायेगा तथा सक्षम अधिकारी, प्रमुख वन संरक्षक द्वारा अनुमोदन करने के पश्चात् आदेश जारी करेगा.
- (5) रिक्त आरक्षित पदों पर पदोन्नति के लिए प्रक्रिया सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार होगी.

16. पदोन्नति /स्थानांतरण हेतु पात्रता की शर्तें – (1) उप नियम (2) के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए समिति, उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की 1 जनवरी को उस पद पर, जिससे कि पदोन्नति की जाना है या किसी अन्य पद या पदों पर, जिन्हें सरकार ने उनके समतुल्य घोषित किया गया हो, उतने वर्ष की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मौलिक रूप में) पूर्ण कर ली हो, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है.

(2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पदोन्नति में आरक्षण तथा विचारण क्षेत्र के विस्तार की सीमा), नियम, 1997 के उपबंध, पदोन्नति के लिए विचारण क्षेत्र हेतु लागू होगी.

(3) ऐसे वनपाल जिन्होंने राज्य के प्रशिक्षण स्कूल से वनपाल के लिए विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो, उप वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे.

टिप्पणी – ऐसे कर्मचारी भी पदोन्नति के लिए पात्र होंगे, यदि उन्हें विहित प्रशिक्षण से छूट प्रदान की गई हो.

(4) कर्मचारी को प्रथम पदोन्नति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वह अनुसूचित क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष की पूर्ण सेवा नहीं कर ले, इससे अभिप्रेत है, अनुसूचित क्षेत्र में तीन वर्ष की सेवा – पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्त होगी.

टिप्पणी – उपर्युक्त नियम के अनुपालन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-41-83-1 दिनांक 11 जनवरी 1984 का अनुसरण किया जाएगा.

17. उपर्युक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना – (1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो नियम 16 में विहित शर्तों को पूरा करते हो तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपर्युक्त ठहराया गया हो यह सूची चयन सूची की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवा निवृत्ति /पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी.

(2) चतुर्थ श्रेणी के पद से तृतीय श्रेणी के पद पर तथा तृतीय श्रेणी के पद पर पदोन्नति के लिए व्यक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिए, मानदण्ड ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता (सीनियरटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) होगा.

(3) प्रत्येक चयन सूची को तैयार करने के समय चयन सूची में सम्मिलित किये गये अधिकारियों के नाम अनुसूची "चार" के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पद में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे.

परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ कर्मचारी को, जो समिति की राय में असाधारण योग्यता तथा उपयुक्तता का हो, उससे वरिष्ठ अधिकारियों की तुलना में सूची में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा.

स्पष्टीकरण – ऐसे व्यक्ति को, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जो सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नति नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वत्तर चयन के तथ्य से हो, उन व्यक्तियों के ऊपर, जिन पर पश्चात्पूर्वी चयन में विचार किया गया हो, ज्येष्ठता का दावा नहीं होगा.

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन किया जायेगा.

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित किया जाता है कि सेवा के किसी सदस्य को अधिक्रमित किया जाये, तो समिति, प्रस्तावित अधिक्रमण के लिए अपने कारणों को अभिलेखित करेगी.

18. चयन सूची – (1) नियुक्ति प्राधिकारी, समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर समिति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों और अभिलेखों के साथ विचार करेगा और जब तक वह कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं समझे, सूची को अनुमोदित करेगा.

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो यह प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना समिति को देगा तथा समिति की टिप्पणियाँ, यदि कोई हो पर विचार करने के पश्चात् सूची को ऐसे उपांतरणों के साथ यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उचित हो, अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा.

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में दर्शाए गये पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में वर्णित पदों पर सेवा के सदस्यों, पदोन्नत के लिए चयन सूची होगी.

(4) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी, जब तक नियम 17 के उप नियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता किन्तु उसकी विधिमान्यता, उसके तैयार किये जाने की तारीख से 18 मास कुल कालावधि से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी.

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण में या कर्तव्यों के पालन में गंभीर चूक होने की दशा में चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर किया जा सकेगा और समिति यदि वह उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची में से हटा सकेगी.

19. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति – (1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा के संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम से की जायेगी, जिस क्रम में ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में आये हों.

परन्तु जहां प्रशासनिक अत्यावश्यकता के कारण ऐसे अपेक्षित हो, वहां किसी व्यक्ति, जिसका नाम उपयुक्त व्यक्तियों की चयन सूची में सम्मिलित नहीं है या जो उपयुक्त व्यक्तियों की चयन सूची में ठीक अगले क्रम में नहीं हो, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा, यदि सरकार को यह समाधान हो जाए कि रिक्ति को तीन माह से अधिक समय तक चालू रहने की संभावना नहीं है

(2) ऐसे व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के लिए समिति से परामर्श करना सामान्यतः तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किये जाने तथा उसकी प्रस्तावित नियुक्ति तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में कोई ऐसा गिरावट न आ गई है जिससे कि वह नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त हो गया हो.

20. प्रशिक्षण के पश्चात् नियुक्ति – विहित प्रशिक्षण को सफलता पूर्वक पूर्ण कर लेने पर सीधी भरती किये गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति नीचे दिये अनुसार की जायेगी –

वनपाल पाठयक्रम :- वनपाल

21. परीक्षण : सेवा में पदोन्नत प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षण पर नियुक्त किया जायेगा.

22. निर्वचन – यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

23. शिथिलीकरण – इन नियमों में की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की, ऐसी रीति में जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को समिति या कम करती है.

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

24. व्यावृत्ति – इन नियमों में अंतर्विष्ट कोई भी बात सरकार द्वारा समय समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपबंधित किए जाने वाले आरक्षण तथा अन्य शर्तों पर प्रभाव नहीं डालेगी.

25. निरसन और व्यावृत्ति – इन नियमों के तत्स्थानों और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, एतद्वारा निरसित किए जाते हैं.

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किये गये किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही के संबंध में यह समझा जाएगा कि इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
अनुराग श्रीवास्तव, उप सचिव

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2013

क्र.एफ.3-72-2007-दस-1. - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भरती नियम 2000 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:-

संशोधन

अनुसूची चार में, कॉलम (1) से (7) में, शब्द " उप वन क्षेत्रपाल" तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

विभाग का नाम	उस सेवा या पद का नाम जिस से पदोन्नति की जानी है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	कॉलम (2) में उल्लेखित पद पर सेवा की न्यूनतम कालावधि	पदोन्नति प्रक्रिया या चयन प्रक्रिया	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	विशिष्ट अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वन	उप वन क्षेत्रपाल	वन क्षेत्रपाल	3 वर्ष	वरीयता प्रधान उपयुक्तता गौण	1. अध्यक्ष-अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग अथवा उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य 2. सदस्य- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन विभाग 3. सदस्य- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल।	

No.F-3-72-2007-X-1 - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Class III (Non-Ministerial) forest Services Recruitment Rules 2000, namely:-

AMENDMENT

In Schedule IV, in column (1) to (7) for the words " Deputy Range" and entries relating thereto the following words and entries relating there to shall be substitute namely:-

Name of Department	Name of the Service or post from which promotion is to be made	Name of Service or post to which promotion is to be made	Minimum period of service on the post mentioned in column-2	Promotion procedure or selection procedure	Name of the members of departmental promotion committee	Special Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Forest	Forester	Deputy Ranger	3 years	Seniority subject to fitness	1. Chairment- Chairman Mdhya Pradesh State Public Service Commission or any member nominated by him 2. Member-Additional Chief Secretary / Principal Secretary Forest Department 3. Member-Principal Chief Conservator of Forest Madhya Pradesh	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशांत कुमार, सचिव

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 मई 2009

क्र.एफ.3-37-2009-दस-1. - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) वन सेवा भरती नियम 2000 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:-

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची तीन के नीचे दी गई टिप्पणी को लोप किया जाए,

No.F-3-37-2009-X-1 - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Class III (Ministerial) forest Services Recruitment Rules 1999, namely:-

AMENDMENT

In the said rules, the note given below the scheduled III shall be omitted.

क्र.एफ.3-36-2009-दस-1. - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भरती नियम 2000 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:-

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची तीन के नीचे दी गई टिप्पणी को लोप किया जाए,

No.F-3-36-2009-X-1 - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Class III (Non-Ministerial) forest Services Recruitment Rules 1999, namely:-

AMENDMENT

In the said rules, the note given below the scheduled III shall be omitted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुष्कर सिंह, अपर सचिव

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2009

क्र.एफ.3-17-2009-दस-1. - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भरती नियम 2000 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियम में, नियम 8 के उपनियम (3) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“ (ख) वनरक्षक के पद के लिए न्यूनतम शारीरिक प्रमाण (स्टैंडर्ड) निम्नानुसार होगा:-

शारीरिक प्रमाण	पुरुष अभ्यर्थी	महिला अभ्यर्थी
उचाई	163 सेंटीमीटर	150 सेंटीमीटर
सामान्य सीना	79 सेंटीमीटर	-
सीने का न्यूनतम फुलाव (विस्तार)	05 सेंटीमीटर	-

टिप्पणी:- (1) अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम उँचाई 152 सेंटीमीटर तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए।

(2) मध्यप्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, सीने के फुलाव में 5 सेंटीमीटर (बिना फुलाव 74 सेंटीमीटर/फुलाने पर 79 सेंटीमीटर) का शिथिलीकरण किया जाएगा।

(3) महिला अभ्यर्थी के लिये सीने का माप अपेक्षित नहीं है ”

Bhopal, the 5th March 2009

No.F-3-17-2009-X-1 - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Class III (Non-Ministerial) forest Services Recruitment Rules 1999, namely:-

In the said rules, for clause(b) of sub-rule(3) of rule 8 the following clause shall be substituted namely:-

“ (b) The minimum physical standard for the post of Forest Guard shall be as follows:-

Physical Standard	Male Candidate	Female Candidate
Height	163 cm	150 सेंटीमीटर
General Chest	79 cm	-
Minimum Expansion of Chest	05 cm	-

Note:- (1) For Schedule Tribes, the minimum height for male candidate should be 152 cm and for the female candidates should be 145 cm.

(2) In the naxal affected areas in the Madhya Pradesh, 5 cm chest relaxation (unexpended 74 cm/expanded 79 cm) shall be given.

(3) Chest measurement is not required for the Female candidate"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के.के. कातिया, अवर सचिव

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 9 जून 2008

क.एफ.3-47-2008-दस-1. - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भरती नियम 2000 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. नियम 8 के उपनियम (एक) के खण्ड (ग) के पश्चात् अंतःस्थापित किया जाए अर्थात्:- " परन्तु वनरक्षकों के पद पर भर्ती के लिए उपरोक्त उपबंध लागू नहीं होगा"
2. नियम 11 के उपनियम (4) के पश्चात् अंतःस्थापित किया जाए अर्थात्:- " परन्तु वनरक्षक के पद पर भर्ती के लिए 10 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे"

No.F-3-47-2008-X-1 - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Class III (Non-Ministerial) forest Services Recruitment Rules 1999, namely:-

AMENDMENT

In the said rules:-

- 1- after clause(c) of sub-rule(1) of rule 8 the following proviso shall be inserted namely:-
" Provided that the above provision shall not be applicable for the recruitment on the post of Forest Guards"
- 2- after sub-rule(4) of rule 11, the following proviso shall be inserted namely:-
" Provided that for the recruitment on the post of the Forest Guard, 10 percent posts shall be reserved for women candidates"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुष्कर सिंह, अपर सचिव

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2000

क्र.एफ सी 3-3-2000-3.एक. - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियम में, नियम 6 के उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“ (5) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

(6) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम.के. वर्मा, उप सचिव

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2000

क्र.एफ सी 3-3-2000-3.एक. - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रं. सी-3-3-2003-3-एक, दिनांक 10 मार्च 2000 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम.के. वर्मा, उप सचिव

Bhopal, the 10th March 2000

No.F-C-3-3--2000-EK - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service Rules) Condition of service Rules 1961 namely:-

In the said rules, after sub-rule (4) of rule 6 the following sub-rule shall be inserted namely:-

" (5) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has married before the minimum age fixed for marriage.

(6) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has more than two living children on of whom is born on or after the 26th day of January,2001"

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M.K. VERMA. Dy .Secy

अनुसूची-1
(नियम-5 देखिये)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

क्र०	सेवा का वर्गीकरण	सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	(1) मानचित्रकार	175	44	219	1. 5000-150-8000 2. 5500-175-9000 (12 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर)
2	फोटोग्राफर	0	1	1	5500-175-9000
3	सहायक प्रोग्रामर	0	1	1	5000-150-8000
4	(2) सहायक सम्पादक	1	0	1	4500-125-7000
1	(3) उप वन क्षेत्रपाल	554	2946	3500	4000-100-6000
1	(4) वनपाल	3642	3858	7500	3500-80-5200
2	सर्वेक्षक	111	2	113	3050-75-3950-80-4590
3	सिनेमा आपरेटर	0	1	1	3050-75-3950-80-4590
4	प्रधान अध्यापक	22	0	22	शिक्षा विभाग के अनुसार
5	सहायक अध्यापक	63	0	63	शिक्षा विभाग के अनुसार
6	ट्रेक्टर चालक	1	108	109	3050-75-3950-80-4590
7	ट्रक चालक	0	295	295	3050-75-3950-80-4590
8	मैकेनिक	0	42	42	3050-75-3950-80-4590
9	वायरलेस टैक्नीशियन	0	2	2	3050-75-3950-80-4590
10	की पंच आपरेटर/डाटा एंट्री आपरेटर	0	4	4	3050-75-3950-80-4590
1	(5) वनरक्षक/वनसेवक/गेमगार्ड	12644	3861	16505	2750-70-3800-75-4400 (कनिष्ठ वेतनमान) 3050-75-3950-80-4590 (वरिष्ठ वेतनमान)
2	कम्पाउण्डर	7	3	10	3050-75-3950-80-4590
3	पटवारी	1	18	19	3050-75-3950-80-4590
4	जीप चालक	63	478	541	3050-75-3950-80-4590
5	इलेक्ट्रिशियन	0	36	36	3050-75-3950-80-4590
6	गोदाम रक्षक	40	0	40	3050-75-3950-80-4590
7	गोदाम रक्षक (लघु वनोपज)	135	0	135	3050-75-3950-80-4590
8	फील्ड सहायक	87	0	87	3050-75-3950-80-4590
9	डार्क रूम सहायक	0	1	1	3050-75-3950-80-4590

अनुसूची-दो
(नियम-6 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत		अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतर अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम-6ग देखिए)
			सीधी भरती द्वारा (नियम-6 क देखिए)	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6-ख देखिए)	
1	2	3	4	5	6
वन	मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा				
	(1)				
	1. मानचित्रकार	219	100	-	
	2. फोटोग्राफर	1	100	-	
	3. सहायक प्रोग्रामर	1	100	-	
	(2)				
	1. सहायक सम्पादक	1	100	-	
	(3)				
	2. उप वन क्षेत्रपाल	3500	-	100	
	(4)				
	1. वनपाल	7500	-	100	
	2. सर्वेक्षक	113	33	66	
	3. सिनेमा आपरेटर	1	100		
	4. प्रधान अध्यापक	22	-	50	50 प्रतिशत शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा
	5. सहायक अध्यापक	63	50	-	50 प्रतिशत शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा एवं 50 प्रतिशत प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार द्वारा
	6. ट्रैक्टर चालक	109	100	-	
	7. ट्रक चालक	295	100	-	
	8. मैकेनिक	42	100	-	
	9. वायरलेस टैक्नीशियन	2	100	-	
	10. की पंच आपरेटर/ डाटा एंट्री आपरेटर	4	100	-	

(5)				-	
1. वनरक्षक/वनसेवक/गेमगार्ड	16505	100			
2. कम्पाउण्डर	10	-	-	-	100% लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा।
3. पटवारी	19	-	-	-	100% राजस्व विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा।
4. जीप चालक	541	100	-	-	
5. इलेक्ट्रिशियन	36	100	-	-	
6. गोदाम रक्षक	40	100	-	-	
7. गोदाम रक्षक (लघु वनोपज)	135	100	-	-	
8. फील्ड सहायक	87	100	-	-	
9. डार्क रूम सहायक	1	100	-	-	

अनुसूची-तीन
(नियम-8 देखिये)

सीधी भरती से नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु एवं शैक्षणिक तकनीकी तथा शारीरिक अर्हताएं

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हताएं तथा अनुभव	शारीरिक अर्हताएं	विशेष वितरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वन	(1) 1.मानचित्रकार	18 वर्ष	30 वर्ष	(क) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण अथवा (ख) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की हो (ग) जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स मुम्बई से प्रारंभिक (एलमण्ट्री) ड्राइंग में इंटर मीडियेट प्रमाण पत्र या मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से मानचित्रकारी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या सर्वे ऑफ इंडिया हैदराबाद से फोटोग्राफी विषय में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो.		
	2. फोटोग्राफर	18 वर्ष	30 वर्ष	(क) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण (ख) फोटोग्राफी की कला में मान्यता प्राप्त संस्था से व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त.		
	3. सहायक प्रोग्रामर	18 वर्ष	30 वर्ष	क) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण (ख) स्नातक परीक्षा में गणित तथा सांख्यिकीय विषय रहा हो. (ग) कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में डिप्लोमा (घ) पर्सनल कम्प्यूटर एक्स. टी. /ए. टी. आपरेटिंग अथवा वेसिंग की बैक्स/3/ 4 लोटस 1.2.3 वर्ड स्टार में सिस्टम डेवलपमेण्ट का दो वर्ष का अनुभव अनिवार्य.		
	(2) 1. सहायक	18 वर्ष	30वर्ष	(क) मान्यता प्राप्त विश्व		

	सम्पादक			विद्यालय से स्नातक परीक्षा द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण (ख) पत्रकारिता प्रकाशन जनसम्पर्क का अनुभव होने पर अभ्यर्थियों को प्राथमिकता.		
	(3) 1. सर्वेक्षक	18 वर्ष	30 वर्ष	(क) मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेण्डरी अथवा 10+2 पद्धति से दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण. (ख) सर्वेक्षक प्रशिक्षण में पत्रोपाधि		
	2. सिनेमा आपरेटर	18 वर्ष	30 वर्ष	(क) मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेण्डरी अथवा 10+2 पद्धति से दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण. (ख) प्रोजेक्टर चलाने का लायसेंस होना अनिवार्य है.		
	3. सहायक अध्यापक	18 वर्ष	30 वर्ष	स्नातक तथा बी.एड. प्रशिक्षित		
	4. ट्रैक्टर चालक	18 वर्ष	30 वर्ष	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के पास भारी वाहन चलाने का लायसेंस तथा ट्रैक्टर चलाने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए.		
	5. ट्रक चालक	18 वर्ष	30 वर्ष	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के पास भारी वाहन चलाने का लायसेंस होना चाहिए तथा भारी वाहन चलाने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए.		
	6. मैकेनिक	18 वर्ष	30 वर्ष	अभ्यर्थी को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मैकेनिक प्रमाण पत्र तथा मैकेनिक कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए.		
	7. वायलेस टेक्नीशियन	18 वर्ष	30 वर्ष	अभ्यर्थी को पुरानी पद्धति से उच्चतर माध्यमिक अथवा (10+2) की परीक्षा उत्तीर्ण होना		

				चाहिए तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से वायरलेस टेक्नीशियन का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए.		
	8. की पंच आपरेटर/ डाटा एन्ट्री आपरेटर	18 वर्ष	30 वर्ष	(क) मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेन्ड्री अथवा 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण. (ख) डाटा एण्ट्री/ कम्प्यूटर आपरेटिंग का प्रशिक्षण प्राप्त प्रमाण पत्र (ग) किसी सरकारी विभाग अथवा संस्थान में डाटा एण्ट्री का दो वर्ष न्यूनतम अनुभव. (घ) अंग्रेजी तथा हिन्दी मुद्रलेखन बोर्ड की प्रोसेसिंग का अनुभव.		
	(4) 1. वनरक्षक/ वनसेवक/ गेमगार्ड	18 वर्ष	30 वर्ष	मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेन्ड्री अथवा 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण. नोट: बस्तर जिले में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी के लिए कक्षा आठवीं उत्तीर्ण.		
	2. जीप चालक	18 वर्ष	30 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण तथा अभ्यर्थी के पास जीप चलाने का अनुज्ञा पत्र होना चाहिए, तथा जीप चलाने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए.		
	3. इलेक्ट्रीशियन	18 वर्ष	30 वर्ष	(क) मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेन्ड्री अथवा 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण. (ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रीशियन विषय का प्रमाण-पत्र.		

	4. गोदाम रक्षक	18 वर्ष	30 वर्ष	अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है.		
	5. रक्षक गोदाम रक्षक (लघु वनोपज)	18 वर्ष	30 वर्ष	मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेण्ड्री अथवा 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण.		
	6. फील्ड सहायक	18 वर्ष	30 वर्ष	मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेण्ड्री अथवा 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण.		
	7. डार्क रूम सहायक	18 वर्ष	30 वर्ष	(क) मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेण्ड्री अथवा 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण. (ख) फोटो प्रिंट तैयार करने और फिल्म (विकसित) डब्लप करने सहित डार्क रूम व्यवसायिक कार्य का व्यवहारिक अनुभव.		

टिप्पणी : अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल/विश्वविद्यालय से हायर सेकेण्ड्री/स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण जैसा कि अनुसूची तीन में विनिर्दिष्ट है यदि नीचे दिए गये किन्हीं पदों के लिए अर्हता हायर सेकेण्ड्री हो तो यह आवश्यक होगा कि मध्यप्रदेश के स्कूलों में से किसी स्कूल से परीक्षा पास करें.

अनुसूची-चार
(नियम-14 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा तथा पद का नाम जिस पर से पदोन्नति की जावेगी	सेवा तथा पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जावेगी	खाना (2) में दर्शाये पद पर न्यूनतम सेवा की अवधि	पदोन्नति की विधि अर्थात् चयन विधि या चयनोत्तर विधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वन	वनरक्षक	वनपाल, सर्वेक्षक	12 वर्ष	वरीयता प्रधान योग्यता गौण	1. वृत स्तर पर पदोन्नति के लिए वन संरक्षक द्वारा मनोनीत तीन सहायक प्रदेश स्तर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश के द्वारा मनोनीत तीन अधिकारियों की समिति के द्वारा	नियम 14 (1) में उल्लेखित हैं.
	वनपाल	उप वन क्षेत्रपाल	5 वर्ष	वरीयता प्रधान योग्यता गौण	वन संरक्षक स्तर के अधिकारी एवं तीन वन मण्डल अधिकारी स्तर की समिति प्रदेश स्तर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश के द्वारा मनोनीत तीन अधिकारियों की समिति के द्वारा	
	सहायक शिक्षक	प्रधान अध्यापक	12 वर्ष	वरीयता प्रधान योग्यता गौण		
	उप वन क्षेत्रपाल	वन क्षेत्रपाल	3 वर्ष	वरीयता प्रधान योग्यता गौण	2. प्रदेश स्तर पर पदोन्नति के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा मनोनीत तीन अधिकारियों की समिति में दो अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा एक वन संरक्षक स्तर के अधिकारी. प्रदेश स्तर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश के द्वारा मनोनीत तीन अधिकारियों की समिति के द्वारा	

नोट : (1) उप वन क्षेत्रपाल स्तर के पदों की पदोन्नति वृत स्तर पर की जावेगी. वन क्षेत्रपाल स्तर के पदों की पदोन्नति मुख्यालय स्तर पर की जावेगी.

(2) वनपाल के पद से उप वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति की पात्रता केवल प्रशिक्षित वनपालों को ही होगी.

(3) पदोन्नति के लिए शैक्षणिक योग्यता कोई बंधन नहीं होगा.

(4) कॉलम (2) में (विनिर्दिष्ट) पदों में से कॉलम (3) में (विनिर्दिष्ट) पदों पर पदोन्नति की जाएगी. इस प्रयोजन हेतु वरिष्ठता का विचारण समक्ष पदों पर नियुक्ति की तारीख से किया जायेगा. ऐसे विभाग के विभिन्न खण्डों में जैसे- सोशल फारेस्ट्री (सामाजिक वानिकी), वन्य जीवन (वाइल्ड लाईफ) तथा अन्य खण्ड में कार्यकारी पदों को इस प्रयोजन के लिए समतुल्य घोषित किए गये है.

अनुसूची-पांच
(नियम-2 देखिये)

सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों के लिए अर्हकारी परीक्षा योजना

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद का नाम	प्रतियोगी परीक्षा, साक्षात्कार (स्वास्थ्य एवं शारीरिक भौतिक परीक्षण)
(1)	(2)	(3)	(4)
वन	मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी अलिपिकीय वन सेवा	वनरक्षक	(अ) लिखित परीक्षा – इसमें निम्नानुसार 70 अंक का दो घंटे का प्रश्न पत्र होगा
			विषय
			अंक
			गणित (माध्यमिक स्तर का)
			40
			सामान्य ज्ञान
			30
			कुल योग
			70
		टिप्पणी : लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत एवं अनसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 23 प्रशिक्षत अंक अर्जित करना अनिवार्य है.	
		(ब) साक्षात्कार में 12.50 प्रशित	
	मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी	चार अन्य समस्त पदों के लिए	विभागीय चयन समिति द्वारा निर्धारित किया जावेगा.

अनुसूची-छः
(नियम-14 देखिये)

क्रमांक (1)	वेतनमान (2)	समयबद्ध वेतनमान (3)
1	2550-55-2660-60-3200	2610-60-3150-65-3540
2	2610-60-3150-65-3540	2750-70-3800-75-4400
3	2750-70-3800-75-4400	3050-80-4700-100-5200
4	3050-80-4700-100-5200	3500-80-4700-100-5200
5	3500-80-4700-100-5200	4000-100-600
6	4000-100-6000	4500-125-7000
7	4500-125-7000	5000-150-8000
8	4500-125-7000	5500-175-9000
9	5500-175-9000	6500-200-10500
10	6500-200-10500	7500-250-12000
11	7500-250-12000	8000-275-13500
12	8000-275-13500	10000-325-15200
13	10000-325-15200	10650-325-15850

Bhopal, the 21st May 2001

No.F-21-13-87-X-1 - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to the recruitment of The Madhya Pradesh Class III (Non-Ministerial) forest Services, namely:-

RULES

1. Short title and Commencement - (i) These rules may be called the Madhya Pradesh Class III (Non-Ministerial) Forest Services Recruitment Rules, 1999.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette".
2. Definitions - In these Rules, unless the context otherwise requires -
 - (a) "Appointing Authority" in respect of the service or a post means such authority to whom power of appointment to that service or post has been or may hereafter be delegated by the Government.
 - (b) "Committee" means the selection Committee constituted as specified in column (6) of Schedule-IV.
 - (c) "Deputy Ranger means Deputy ranger, Park Game Nirikshak.
 - (d) "Examination" means the competitive examination for recruitment of the service under rule II;
 - (e) "Forest Guard" means Forest Guard, Game Guard, Van Sevak;
 - (f) "Forester" means Forester, Van Vistar Sahayak, Game Up Nirikshak.
 - (g) "Government" means the Government of Madhya Pradesh".
 - (h) "Governor" means the Governor of the Madhya Pradesh.
 - (i) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens specified by the State Government vide Notification No.8-5-2XXV-4-84, dated the 26th December 1984 as amended from time to time;
 - (j) "Schedule" means the Schedule appended to these rules.
 - (k) "Scheduled Caste" means any caste, race or tribe or part of or group within caste, race or tribe specified as Scheduled Caste with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India.

(l) "Scheduled Tribe" means any Tribe or Tribal community or part of group within tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of the Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution.

(m) "Service" means the Madhya Pradesh Class III (Non-ministerial) Forest Service.

(n) "State" means the State of Madhya Pradesh.

3. Scope and Application - Without prejudice to the generality of the provision contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) rules, 1961, these Rules shall apply to every member of the service.

4. Constitution of Service - The service shall consist of the following persons, namely :-

(1) Persons who at the commencement of these Rules are holding substantively the post specified in Schedule 1;

(2) Persons recruited to the service before the commencement of these Rules, and

(3) Persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these Rules;

5. Classification Scale of pay etc. - the classification of the service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provision contained in Schedule 1.

Provided that the Government may, from time to time add or reduce the number of posts included in the service either on a permanent or temporary basis.

6. Method of Recruitment (1) Recruitment to the service after commencement of these Rules, shall be made by the following methods, namely:-

(a) By direct recruitment through Competitive Examination or interview or by both the methods.

(b) By promotion as shown in column (2) of Schedule IV.

(c) By transfer of deputation of persons who hold in a substantive capacity such posts, in such service as specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) and clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in schedule II of the number of the posts mentioned in Schedule I.

(3) Subject to the provision of these rules, the methods or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each methods shall be determined on each occasion by the appointing authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) if in the opinion of the appointing authority, the exigency of the service so required he may after the approval of the General Administration department adopt such method of requirement to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribed.

7. Appointment to the Service - All appointments to the service after commencement of these Rules shall be made by the appointing authority and no such appointment shall be made except for the selection by one of the methods of recruitment as specified in rule 6.

8. Conditions of Eligibility of Direct Recruitment - In order to be eligible for selection/competitive examination, the candidate must satisfy the following conditions, namely :-

(1) Age:

(a) He must have attained the age as prescribed in column (3) of Schedule III and not attained the age as mentioned in column(4) of the said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years if a candidate belongs to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall be relaxable up to maximum of 10 years to a women candidate in accordance with the provision of Rule 4 of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997.

(d) The upper age limit shall be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below :-

i) A candidate who is a permanent Government Servant should not be more than 38 years of age.

ii) A candidate holding post and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to contingency paid employees, workcharged employees and employees working in the Project implementing Committee.

iii) A candidate who is a retrenched Government Servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary services previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 year.

Explanation: - The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

- iv) A candidate who is an ex-serviceman will be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation:- The term "ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service:-

- (1) Ex-servicemen released under mustering out concessions.
 - (2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on -
 - (1) Completion of short term appointment.
 - (2) fulfilling the conditions of enrolment.
 - (3) ex-personnels of Madras Civil Unit.
 - (4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract including Short Service is Regular Commissioned Officers.
 - (5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies.
 - (6) Ex-servicemen invalidated out of service.
 - (7) Ex-servicemen discharge on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers.
 - (8) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds etc.
- (e) The upper age should not be more than upto 5 years in respect of the widows destitute and divorced women candidate.
 - (f) The upper age limit shall also be relaxable up to 2 years in respect of "Green Card Holder" candidates under Family Planning Programme.
 - (g) The upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of warded superior caste partner of couple under the Inter-caste marriage

programme of the Tribal, Scheduled Caste and other Backward Classes Welfare Department.

- (h) The general upper age limit shall also be relaxable upto 5 years in respect of Vikram Award holders candidates.
- (i) The upper age shall be relaxable up to a maximum 38 years of age who are the employees of Madhya Pradesh State Corporations / Board.
- (j) The upper age shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non Commissioned Officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

- Note:-
- 1) Candidate who are found eligible for selection under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of the clause (d) above will not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after selection. They will, however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.
 - 2) In no other case shall these age limit be relaxed departmental candidates must obtain prior permission of the appointing authority to appear for selection.
 - (2) Educational qualification :- The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Scheduled III provided that -

- (a) In exceptional cases the committee may on the recommendations of the appointing authority treat as qualified a candidate who through not possessing any of the qualifications prescribed in this clause, has passed examination conducted by other institution by such a standard, which is the opinion of the committee justifies the consideration of the candidate for selection, and

- (b) Candidate who are otherwise qualified but have taken degrees from foreign Universities specifically recognized by the Government may also be considered for appearing in the examination/selection at the discretion of the committee.

- (3) Physical Qualification -
 - (a) For direct recruitment to the post of Forest Guard, a candidate must pass the competitive examination in the subject as prescribed by the selection committee as well as shall have to complete a walk of 25 km. in 4 hours in case of man and 14 km in 4 hours in case of women along with shall have to pass the prescribed physical fitness test.

- (b) The minimum physical standard for the post of Forest Guard shall be as follows:-

Physical standard

Male Candidate

Female Candidate

Height	163 cm	150 cm
General Chest	79 cm	74 cm
Minimum expansion of Chest	5 cm	5 cm

Note:- For Scheduled Tribes, the minimum height for male candidate should be 152 cm, and for the female candidates should be 145 cm. In the Naxal affected areas in the Madhya Pradesh, 5 cm chest relaxation (unexpanded 74 cm/expanded 79 cm) shall be given.

(2) Fees - The candidate must pay the fees prescribed by the Appointment Authority.

9. Disqualification - Any attempt on the part of the candidate to obtain support for his candidature by any means, may be held by the appointing authority to disqualify him for examination/selection.

10. Appointing Authority's decision about the eligibility of the Candidate, shall be final - The decision of the appointing authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination will be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be admitted to examination/interview.

11. (1) Direct Recruitment by Competitive Examination -

- i) A competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the appointing authority may in consultation with the Government from time to time determine.
- ii) The examination shall be held by the Appointing Authority in accordance with such orders as the issued by the Government from time to time.

(2) Direct Recruitment by Interview -

- i) The selection of the candidate to the service shall be made such intervals as the appointing authority may from time to time determine.
- ii) The selection of the candidates the service shall be made by the selection committee by interviewing them. The selection committee shall be negotiated by the appointing authority from time to time.

(3) Their shall be reserved posts for the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other backward Classes at the stage of direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Log Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhada Vergon Ke Liye Arakshan) Adhinyam, 1994 (No.21 of 1994).

- (4) 30 percent posts shall be reserved for women candidates, in accordance with the provision of Madhya Pradesh Civil Services (Special provision for appointment of Woman) rules, 1997.
- (5) In filling the vacancies so reserved candidates who are members of Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of relative rank as compared with other candidate.
- (6) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled tribes and Other Backward Classes, recommended by selection committee to the suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled tribes and Other backward Classes as the case may be.
- (7) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the post to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of appointing authority that there is a possibility that the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled tribe and Other Backward Classes may not be available in sufficient number, the appointing authority may relax the condition of experience to the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes may not be available in sufficient number, the appointing authority may relax the condition of experience to the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward classes.

12. List of Candidates Recommended by the Selection Committee - (1) The Selection Committee shall forward to the appointing authority a list arranged in the order of merit of the candidates, who have qualified by such standards as the committee may determine and the list of candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, but are declared by the Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for general information.

- (2) Subject to the provision of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Service (General Condition of Service) Rules, 1961, candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the merit list.
- (3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the appointing authority is satisfied, after such inquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.
- (4) The list shall be valid for a period of one year from the date of its issue by the committee.

13. Probation - Every person directly recruited to the service shall be appointed on the probation for a period of 2 years.

14. Conditions of eligibility for time-bound scale - (1) The member of the shall be given time-bound scale as shown in column (3) of schedule VI subject to the following conditions, namely :-

- i) If he has completed more that 12 years but less than 24 years of service and was not given any scale of pay on account of promotion or otherwise, in addition to the initial pay scale at the time of his appointment except the corresponding scales: or
- ii) If he has completed more than 24 years of service and was not given more than one higher pay scale on account of promotion or otherwise, in addition to the initial pay scale at the time of his appointment except corresponding scales.

(2) The pay of the member shall be fixed at the next stage of the time bound scale of pay:

Provided where the member is drawing his pay in the time bound scale of pay and is promoted his pay subsequent to such promotion shall be fixed as if he was drawing his pay in the previous scale of pay and was not extended the benefit of fixation of pay on account of time bound scale.

- (3) For extending the benefit of time bound scale preceding 5 years confidential report of the member will be taken into consideration in the same manner as is considered in the case of promotion and the benefit of time bound scale shall be extended if the member is found fit.
- (4) No change shall be made in the designation of the concerned member on account of time bound scale.

15. Appointment by promotion - (1) There shall be constituted a committee consisting of members as mentioned in Schedule-IV for making a selection for promotion of eligible candidates :

Provided that, for the purpose of constitution of the committee under this sub-rule, the provision of Section 8 of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhada Vargon ke Liye Arakshan) Abhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall be adhered to.

- (2) The departmental promotion committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.
- (3) For employees promoted from Deputy Ranger to Ranger posts, it is necessary for them to take the 6 months training in any Forest Ranger College in India. It is also necessary to take the said training within two years from the date of promotion. The increment shall be not be granted to that employee promoted on the post of Ranger until he gets prescribed training.
- (4) Out of turn Promotion - Employees who display extraordinary courage in checking illicit felling of trees protecting forests and forest land and wildlife at the risk of their lives, checking poaching, seizing hides, horns and bones of wild animals, protecting forest

wealth from fire at the risk of their lives and performing excellently in afforestation and other development work etc. shall be given "out of turn promotion" subject to the following conditions:-

- (a) Employees who have done excellent work in the above fields and have maintained this level for minimum of three years.
 - (b) In the cases proposed by the employee, the court has passed the order for punishment after finding the accused guilty.
 - (c) The valuation of excellent work relating to the employee shall be done by the officer not below the rank, of Conservator of Forests and work of the employee has been graded best in comparison to all employees working in the circle.
 - (d) There should be not complaint or departmental enquiry ordered or proposed against such employee.
 - (e) Total posts in each cadre shall be limited to a certain percentage of permanent post of the cadre for out of turn promotion.
 - (f) The proposal of out of turn promotion shall be initiated by Conservator of Forests and the competent officer will issue the orders after approval by the Principal Chief Conservator of Forests.
- (5) The procedure for the promotion to the vacant reserved posts shall be accordance with the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time.

16. Condition for Eligibility for Promotion/transfer - (1) Subject to the provision of sub-rule (2) the committee shall consider the cases of persons who on the 1st day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) on the post from which promotion is to be made or any other post or posts declared equivalent by the Government as specified in Column (4) of Schedule IV.

- (2) For the zone of consideration for promotion the provision of Madhya Pradesh Civil Services (Reservation in Promotion and limits on the extent of zone of consideration) rules, 1997 shall be apply.
- (3) The Foresters who have successfully completed prescribed training for Forester from training school of the state will be eligible for the promotion on the post of Deputy Ranger.

Note :- Such employees will also be eligible for promotion, if given relaxation from prescribed training.

- (4) The employees will not get the first promotion until he has completed the minimum three years service in scheduled area, means the three years service in scheduled area shall be the condition for eligibility for promotion.

Note:- The General Administration Department Memo No.C-3,-41-83-1, dated 11-1-84 shall be followed for compliance of above sub-rule.

17. Preparation of List of Suitable candidates - (1) The committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in Rule 16 and are held by the committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement, promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list.

(2) For preparing the select list of persons for promotion from the post of Class IV to Class III and Class III to Class III, the criteria shall be seniority subject to fitness.

(3) The name of officer included in the select list shall be arranged in order to seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule IV at the time of preparation of each select list:

Provided that any junior employee, who in the opinion of the committee is of exceptional merit and suitability may be assigned in the list a higher place than that of the officers senior to him.

Explanation - A person, whose name is included in the select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any member of the service, the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.

18. Select List - (1) The appointing authority shall consider the list prepared by the committee along with other documents received from the committee and unless it considers any change necessary, approve the list.

(2) If the appointing authority considers it necessary to make any change in the list received from the committee, he shall inform the committee at the change proposed and after taking into account the comments if any of the committee, may approve the list finally with such modification, if any, as may in the opinion be just and proper.

(3) The list as finally approved by the appointing authority shall form the Select List for promotion of the members of the service from the posts shown in column (2) of Schedule IV to the post mentioned in Column (3) of the said schedule.

(4) The select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of Rule 17 but its validity will not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at instance of the appointing authority and the committee may if deemed fit, remove the name of such persons, from the select list.

19. Appointment to the Service from the Select List - (1) Appointment of the employees included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow in the order in which the names of such employees appear in the select list:

Provided that, where administrative exigencies so requires a person whose name is not included in the select list of suitable persons or who is not next in order in the select list of suitable persons, may be appointed to the service if the Government is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than three months.

(2) It shall not ordinarily be necessary for the appointing authority to consult the committee before the appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the appointing authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

20. Appointment After Training - On successful completion of the prescribed training the directly recruited candidates shall be appointed as under:-

Forest Course

Forester

21. Trail - Every person promoted to the service shall be appointed on trial for a period of two years.

22. Interpretation - If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to Government whose decision thereon shall be final.

23. Relaxation - Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply to such manner as may appear to him to be just and equitable :

Provided that the case shall not be dealt within any mannerless favourable to him then that provided in these rules-

24. Saving - Nothing in these rules shall effect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the Government from time of time in this regard.

25. Repeal and Saving - All rules corresponding to these rules are in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of Governor of
Madhya Pradesh,

ANURAG SHRIVASTAVA, Dy.Secy.

SCHEDULES

SCHEDULE - 1
(See Rule 5)

No.	Classification of Service	No. of Posts included in the service			Pay Scale
		Permanent	Temporary	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(1) 1. Draftsman	175	44	219	1. 5000-150-8000 2. 5500-175-9000 (On completion of 12 years service)
	2. Photographer	0	1	1	5500-175-9000
	3. Assistant Programmer	0	1	1	5000-150-8000
	(2) 1. Assistant Editor	1	0	1	4500-125-7000
	(3) 1. Dy.Ranger	554	2946	3500	4000-100-6000
	(4) 1. Forester	3642	3858	7500	3500-80-5200
	2. Surveyor	111	2	113	3050-75-3950-80-4590
	3. Cinema Operator	0	1	1	3050-75-3950-80-4590
	4. Head Master	22	0	22	As per the education deptt.
	5. Assistant Teacher	63	0	63	As per the education deptt.
	6. Tractor Driver	1	108	109	3050-75-3950-80-4590
	7. Truck Driver	0	295	295	3050-75-3950-80-4590
	8. Mechanic	0	42	42	3050-75-3950-80-4590
	9. Wireless Technician	0	2	2	3050-75-3950-80-4590
	10. Key Punch Operator/ Data Entry Operator	0	4	4	3050-75-3950-80-4590
	(5) 1. Forest Guard/ Van Sevak/ Game Guard	12644	3861	16505	2750-70-3800-75-4400 (Junior Scale) 3050-75-3950-80-4590 (Senior Scale)
	2. Compounder	7	3	10	3050-75-3950-80-4590
	3. Patwari	1	18	19	3050-75-3950-80-4590
	4. Jeep Driver	63	478	541	3050-75-3950-80-4590
	5. Electrician	0	36	36	3050-75-3950-80-4590
	6. Godown Guard	40	0	40	3050-75-3950-80-4590
	7. Godown Guard (M.F.P.)	135	0	135	3050-75-3950-80-4590
	8. Field Assistant	87	0	87	3050-75-3950-80-4590
	9. Dark Room Assistant	0	1	1	3050-75-3950-80-4590

SCHEDULE - II
(See Rule 6)

Name of the Department	Name of Service	No. of Duty posts	Percentage of the number of duty posts to be filled in		
			By Direct recruitment through competitive examination (see rule 6 -a)	By promotion of member of the service (see rule 6-b)	By transfer or deputation of persons from other service (see rule 6-c)
1	2	3	4	5	6
Forest	Madhya Pradesh Class III (Non-Ministrial) Forest Service				
	(1)				
	1. Draftman	219	100	-	
	2. Photographer	1	100		
	3. Assistant Programmer	1	100	-	
	(2)				
	1. Assistant Editor	1	100	-	
	(3)				
	1. Dy.Ranger	3500		100	
	(4)				
	1. Forester	7500		100	
	2. Surveyour	113	33	66	
	3. Cinema Operator	1	100		
	4. Head Master	22		50	50% by deputation from education dept.
	5. Assistant Teacher	63	50		50% by deputation from education dept and 50% by competitive examination or interview
	6. Tractor Driver	109	100		
	7. Truck Driver	295	100		
	8. Mechanic	42	100		
	9. Wireless Technician	2	100		
	10. Key Punch Operator/ Data Entry Operator	4	100		
	(5)				
	1. Forest Guard/ Van Sevak/ Game Guard	16505	100		
	2. Compounder	10			100% by promotion from Health Dept.
	3. Patwari	19			100% by promotion from Revenue Dept.
	4. Jeep Driver	541	100		
	5. Electrician	36	100		
	6. Godown Guard	40	100		
	7. Godown Guard MFP	135	100		
	8. Field Assistant	87	100		
	9. Dark Room Assistant	1	100		

SCHEDULE-III

Name of Dept.	Name of Service	Minimum Age	Maximum Age	Education, Technical qualification and experience	Physical qualification	Special Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Forests	(1) 1. Draftmans	18 years	30 years	(A) Old Higher Secondary pass or (B) 10+2 High School Examination pass Intermediate certificate in elementary drawing from J.J.School of Arts Mumbai or a certificate of draftsmanship from the recognized industrial training institutes or have taken the training in photography from Survey of India, Hydrabad		
	2. Photographer	18 years	30 years	(A) Graduate from recognized University (B) Have taken training from recognized institute in photograph.		
	3. Assistant Programmer	18 years	30 years	(A) Graduate examination pass from recognized university. (B) Mathematics and Static's subject in Graduation Examination. (c) Diploma in Computer Programming. (D) Two years experience is necessary in Personal Computer X.T/ A.T. operating or Vasing Key Wax/3/4 Lotus, System Development in 1, 2 3 word star.		
	(2) 1. Assistant Editor	18 years	30 years	(A) Graduate Examination pass in II class from recognized University (B) Preference be given to those candidate who have experience in generalisim Publication and Public relation		
	(3) 1. Surveyor	18 years	10 years	(A) The old Higher Secondary Examination pass from Madhya Pradesh Board of Secondary Education or recognized institute (B) Diploma in survey.		
	(4) 1. Cinema Operator	18 years	30 years	(A) The old Higher Secondary Examination pass or 10+2 High School Examination pass from		

				Madhya Pradesh Board of Secondary Education or recognized institute. (B) Projector operator license is necessary.		
	2. Assistant Teacher	18 years	30 years	Graduate and B.Ed. Trained		
	3. Tractor Driver	18 years	30 years	VIIIth class pass, the candidate have the Heavy Vehicle driving license and oner year tractor driving experience.		
	4. Truck Driver	18 years	30 years	VIIIth class pass, the candidate have the Heavy Vehicle driving license and two year Heavy Vehicle driving experience		
	5. Mechanic	18 years	30 years	The candidate must have the ITI certificate in Mechanic Trade and 2 years mechanic experience		
	6. Wireless Technician	18 years	30 years	The candidate who have passed the old Higher Secondary exam or 10+2 High School exam and have taken the training from ITI in wireless technician trade.		
	7. Key Punch Operator/ Data Entry Operator	18 years	30 years	(A) The old Higher Secondary Examination or 10+2 High School Examination pass from Madhya Pradesh Board of Secondary Education or recognized institute. (B)Certificate in Data Entry/ Computer Operating (C) Processing experience from English, Hindi Board. (D) Two years experience in data entry in Government or Institute.		
	(5) 1. Forest Guard/ Van Sevak/ Game Guard	18 years	30 years	The old Higher Secondary Examination pass or 10+2 High School Examination pass from Madhya Pradesh Board of Secondary Education or recognized institute.		
Note: VIIIth class for those candidates who belong to scheduled caste/ scheduled tribe in Bastar District.						
	2. Jeep Driver	18 years	30 years	VIIIth class pass and the candidate should posses driving license and two years working experience of jeep driver.		
	3. Electricians	18 years	30 years	The old Higher Secondary Examination pass or 10+2 High School Examination pass from Madhya Pradesh Board of Secondary		

				Education or recognized institute. Electrician certificate from ITI.		
	4. Godown Guard	18 years	30 years	Graduate from recognized university		
	5. Godown Guard(M.F.P.)	18 years	30 years	The old Higher Secondary Examination pass or 10+2 High School Examination pass from Madhya Pradesh Board of Secondary Education or recognized institute.		
	6. Field Asstt.	18 years	30 years	The old Higher Secondary Examination pass or 10+2 High School Examination pass from Madhya Pradesh Education or recognized institute.		
	7. Dark Room Assistant	18 years	30 years	The old Higher Secondary Examination pass or 10+2 High School Examination pass from M.P. Board of Secondary education or recognized institute Knowledge of film developing/ to make the photo print and professional experience in dark room work.		

Note: As specified in Schedule III it is necessary to the candidate to pass the Higher Secondary/ Graduate exam. from Madhya Pradesh Board of Secondary Education/ University. If the qualification for any post is below the Higher Secondary, it is necessary to pass the edam. from any school of Madhya Pradesh,

SCHEDULE - IV
(See Rule - 16)

Name of Department	Name of Service or post from which promotion is to be made	Name of Service or post to which promotion is to be made	Minimum period of service on the post mentioned in column-2	Promotion procedure or selection procedure	Name of the members of departmental promotion committee	Special Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Forest	Forest Guard	Forester, Surveyor	12 years	Seniority subject to fitness	1. The Conservator shall nominate the three DFO and three ACF for the Circle level departmental promotion committee.	
	Forester	Deputy Ranger	5 years	Seniority subject to fitness	(2) Principal Chief Conservator of Forest shall nominate the 3 officers, two officers of Addl. CCF level and 1 officer of C.F. level for State level departmental promotion committee	
	Assistant Teacher	Head Master	12 years	Seniority Subject to Fitness		
	Deputy Ranger	Ranger	3 years	Fitness subject to Seniority		

- Note:- (1) The promotion of Deputy Ranger will be made on the circle level.
(2) Only trained foresters shall be eligible for the promotion from the post of forester to deputy ranger.
(3) Qualification is not binding for promotion.
(4) The promotion shall be made on the posts mentioned in column (2) from column (2). The seniority will be considered from the date of appointment to the equivalent posts for this purpose. The posts working in different wings of the department such as Social Forestry, Wild Life and other wings are declared equal for this purpose.

SCHEDULE - V
(See Rule-2)

Name of Department	Name of Service	Name of Post	Competitive Examination	
(1)	(2)	(3)	(4)	
	M.P. Class III (Non- Ministerial)	Forest Guard	(a) Written exam, One paper of 70 marks, two hours as follows:- Subject	
			Subject	Marks
			1. Mathematics (Middle Level)	40
			2. General Knowledge	30
			Total	70

Note: It is necessary for written exam to obtain the 335 marks for the candidates who belong to general category and 23% for those candidates who belonging to SC/ST and OBC category

(P) Interview 12.5%

M.P. Class III

For Other all Posts

Departmental Selection Committee shall be fixed

SCHEDULED - VI
(See Rule - 14)

S.No. (1)	Pay Scale (2)	Time-bound Pay scale (3)
1	2550-55-2660-60-3200	2610-60-3150-65-3540
2	2610-60-3150-65-3540	2750-70-3800-75-4400
3	2750-70-3800-75-4400	3050-80-4700-100-5200
4	3050-80-4700-100-5200	3500-80-4700-100-5200
5	3500-80-4700-100-5200	4000-100-600
6	4000-100-6000	4500-125-7000
7	4500-125-7000	5000-150-8000
8	4500-125-7000	5500-175-9000
9	5500-175-9000	6500-200-10500
10	6500-200-10500	7500-250-12000
11	7500-250-12000	8000-275-13500
12	8000-275-13500	10000-325-15200
13	10000-325-15200	10650-325-15850